

न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं प्रदेन उपखण्ड अधिकारी

मुकाम श्रीकरणपर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम [आर.ए.एस.]

प्रकरण संख्या: 166/2023(जी.सी.एम.एस. 2023/380)

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. दलेल कौर पत्नी बारा सिंह जाति जटसिख निवासी 10 एफएफ तहसील श्रीकरणपुर।		1. कश्मीर सिंह पुत्र बारा सिंह जाति जटसिख निवासी 10 एफएफ तहसील श्रीकरणपुर।
2. राजेन्द्र सिंह पुत्र बारा सिंह जाति जटसिख निवासी 10 एफएफ तहसील श्रीकरणपुर।		2. जलन्धर सिंह पुत्र बारा सिंह जाति जटसिख निवासी 10 एफएफ तहसील श्रीकरणपुर।
3. इन्द्रजीत कौर पत्नी राजेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 10 एफएफ तहसील श्रीकरणपुर।		3. हरदीप सिंह पुत्र बारा सिंह जाति जटसिख निवासी 10 एफएफ तहसील श्रीकरणपुर।
		4. अंग्रेज सिंह पुत्र बलविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 10 एफएफ तहसील श्रीकरणपुर।
		5. गुरमनदीप सिंह पुत्र मगजीत सिंह जाति जटसिख निवासी 10 एफएफ तहसील श्रीकरणपुर।
		6. गुरसेवक सिंह पुत्र मगजीत सिंह जाति जटसिख निवासी 10 एफएफ तहसील श्रीकरणपुर।
		7. चरणजीत सिंह पुत्र हरनाम सिंह जाति जटसिख निवासी 10 एफएफ तहसील श्रीकरणपुर।
		8. जसकरण सिंह पुत्र बलविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 11 एफएफ तहसील श्रीकरणपुर।
		9. जसविन्द्र कौर पत्नी बलविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 11 एफएफ तहसील श्रीकरणपुर।
		10. जसवीर सिंह पुत्र गमदूर सिंह जाति जटसिख निवासी 10 एफएफ तहसील श्रीकरणपुर।
		11. माईकल सिंह पुत्र किशनचन्द जाति जटसिख निवासी 13 एफएफ तहसील श्रीकरणपुर।
		12. रिछपाल सिंह पुत्र बलविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 10 एफएफ तहसील श्रीकरणपुर।
		13. सुखजीत कौर पत्नी मगजीत सिंह जाति जटसिख निवासी 11 एफएफ तहसील श्रीकरणपुर।
		14. सुखविन्द्र कौर उर्फ साहब पत्नी सुरेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 10 एफएफ तहसील श्रीकरणपुर।
		15. अमरजीत कौर पुत्री हरजिन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 12 एफएफ तहसील श्रीकरणपुर।
		16. कुलदीप सिंह पुत्र हरजिन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 12 एफएफ तहसील श्रीकरणपुर।
		17. कश्मीर कौर पुत्री हरजिन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 12 एफएफ तहसील श्रीकरणपुर।
		18. गगनदीप कौर पुत्री सुखदेव सिंह जाति जटसिख निवासी 12 एफएफ तहसील श्रीकरणपुर।
		19. गुरदीप सिंह पुत्र हरजिन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 12 एफएफ तहसील श्रीकरणपुर।
		20. गुरशरण सिंह पुत्र अमृतपाल सिंह जाति जटसिख निवासी 12 एफएफ तहसील श्रीकरणपुर।
		21. नीतापाल कौर पुत्री सुखदेव सिंह जाति जटसिख निवासी 12 एफएफ तहसील श्रीकरणपुर।
		22. प्रकाश कौर पत्नी बेअन्त सिंह जाति जटसिख निवासी 12 एफएफ तहसील श्रीकरणपुर।
		23. प्रभूदत्त पुत्र मूलचन्द जाति ब्राह्मण निवासी 12 एफ तहसील श्रीकरणपुर।
		24. बलदेव सिंह पुत्र बेअन्त सिंह जाति जटसिख निवासी 12 एफएफ तहसील श्रीकरणपुर।
		25. लवप्रीत सिंह पुत्र सुखदेव सिंह जाति जटसिख निवासी 12 एफएफ तहसील श्रीकरणपुर।
		26. समनदीप कौर पुत्री सुखदेव सिंह जाति जटसिख निवासी 12 एफएफ तहसील श्रीकरणपुर।



27. सर्वजीत कौर पत्नी सुखदेव सिंह जाति जटसिख निवासी 12 एफएफ तहसील श्रीकरणपुर।
28. सुलखन सिंह पुत्र हरजिन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 12 एफएफ तहसील श्रीकरणपुर।
29. कर्मजीत कौर पुत्री दलीप सिंह जाति जटसिख निवासी 11 एफएफ तहसील श्रीकरणपुर।
30. कुलविन्द्र सिंह पुत्र प्यारा सिंह जाति जटसिख निवासी 11 एफएफ तहसील श्रीकरणपुर।
31. गुरजीत सिंह पुत्र दलीप सिंह जाति जटसिख निवासी 11 एफएफ तहसील श्रीकरणपुर।
32. जसविन्द्र सिंह पुत्र प्यारा सिंह जाति जटसिख निवासी 11 एफएफ तहसील श्रीकरणपुर।
33. जसवीर कौर पत्नी दलीप सिंह जाति जटसिख निवासी 11 एफएफ तहसील श्रीकरणपुर।
34. नरेन्द्रमोहन पुत्र कृष्णचन्द जाति ब्राह्मण निवासी चक 11 एफ एफ तहसील श्रीकरणपुर।
35. बलविन्द्र सिंह पुत्र दलीप सिंह जाति जटसिख निवासी 11 एफएफ तहसील श्रीकरणपुर।
36. मनजीत कौर पत्नी प्यारा सिंह जाति जटसिख निवासी 11 एफएफ तहसील श्रीकरणपुर।
37. मनदीप सिंह पुत्र शिंगारा सिंह जाति जटसिख निवासी 11 एफएफ तहसील श्रीकरणपुर।
38. मिश्रदत्त पुत्र मूलराज जाति ब्राह्मण निवासी 11 एफएफ तहसील श्रीकरणपुर।
39. रजवन्त कौर पुत्री दलीप सिंह जाति जटसिख निवासी 11 एफएफ तहसील श्रीकरणपुर।
40. लखविन्द्र सिंह पुत्र प्यारा सिंह जाति जटसिख निवासी 11 एफएफ तहसील श्रीकरणपुर।
41. सुरजीत सिंह पुत्र अछर सिंह जाति जटसिख निवासी 11 एफएफ तहसील श्रीकरणपुर।
42. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार श्रीकरणपुर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू 06.06.2023

उपस्थित: 1. श्री राजेन्द्र सिंह रमाणा, श्री सुखविन्द्र सिंह अधिवक्ता वादी

2. श्री इन्द्राज सेजु अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 10

—निर्णय—

दिनांक: 28.10.2024

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण के द्वारा वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 11 एफ एफ ए, पटवार हल्का बडोपल, भू.अ.नि. क्षेत्र मानकसर, की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 02/02 के मुरब्बा नम्बर 14, 16, 19, 26/6 की कुल 8.993 हैक्टेयर, खाता संख्या 26/26 के मुरब्बा नम्बर 5, 8, 26 की कुल 4.047 हैक्टेयर, खाता संख्या 13/13 के मुरब्बा नम्बर 10, 26/11 की कुल 4.932 हैक्टेयर, राजस्व ग्राम 11 एफ एफ बी, पटवार हल्का बडोपल, भू.अ.नि. क्षेत्र मानकसर, की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 28/27 के मुरब्बा नम्बर 7, 26, 27, 43/10 की कुल 15.816 हैक्टेयर, खाता संख्या 10 एफ एफ, पटवार हल्का बडोपल, भू.अ.नि. क्षेत्र मानकसर, की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 81/65 के मुरब्बा नम्बर 53, 62/40 की कुल 0.633 हैक्टेयर, खाता संख्या 48/48 के मुरब्बा नम्बर 45, 53, 62/19, 62/29 की कुल 3.415 हैक्टेयर, खाता संख्या 10/10 के मुरब्बा नम्बर 37, 45 की कुल 0.252 हैक्टेयर, खाता संख्या 38/39 के मुरब्बा नम्बर 17, 18, 25, 45, 62/11 की कुल 18.723 हैक्टेयर भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 41 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने काश्त सहूलियत के लिए घरू वंटवारा किया हुआ है। घरू वंटवारा में वादी संख्या 1 को चक 11 एफ एफ ए के मुरब्बा नम्बर 10 के किला नम्बर 1 की 0.202 हैक्टेयर, किला नम्बर 2 की 0.227 हैक्टेयर, किला नम्बर 3 की 0.228 हैक्टेयर, किला नम्बर 4 की 0.227 हैक्टेयर, किला नम्बर 5 की 0.228 हैक्टेयर, किला नम्बर 6 ता 9 सालम-सालम, किला नम्बर 10, 11 प्रत्येक 0.228 हैक्टेयर, किला नम्बर 12 ता 18 प्रत्येक



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्रीकरणपुर

सालम-सालम, किला नम्बर 19/1 की 0.227 हैक्टेयर, किला नम्बर 20 की 0.228 हैक्टेयर, एवं मुरब्बा नम्बर 26/10 की 0.126 हैक्टेयर, एवं मुरब्बा नम्बर 16 के किला नम्बर 6 ता 10 प्रत्येक 0.189 हैक्टेयर, किला नम्बर 11 ता 15 प्रत्येक 0.126 हैक्टेयर, तथा चक 11 एफ एफ बी के मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 3,8,13,18,23 प्रत्येक सालम-सालम कुल 7.779 हैक्टेयर भूमि प्राप्त हुई है और वादी संख्या 2, 3 को घरू बंटवारा में चक 10 एफ एफ के मुरब्बा नम्बर 17 के किला नम्बर 1 ता 25 प्रत्येक सालम-सालम, मुरब्बा नम्बर 53 के किला नम्बर 1 की 0.089 हैक्टेयर, किला नम्बर 2 की 0.051 हैक्टेयर, किला नम्बर 9 की 0.051 हैक्टेयर, किला नम्बर 10 की 0.102 हैक्टेयर, किला नम्बर 11 की 0.101 हैक्टेयर, किला नम्बर 12 की 0.050 हैक्टेयर, किला नम्बर 19 की 0.050 हैक्टेयर, किला नम्बर 20 की 0.101 हैक्टेयर, किला नम्बर 21 की 0.101 हैक्टेयर, किला नम्बर 22 की 0.050 हैक्टेयर, एवं मुरब्बा नम्बर 62/40 की 0.013 हैक्टेयर, मुरब्बा नम्बर 37 के किला नम्बर 1/1 की 0.026 हैक्टेयर, किला नम्बर 10/2 की 0.025 हैक्टेयर, किला नम्बर 11/3 की 0.025 हैक्टेयर, किला नम्बर 20/2 की 0.025 हैक्टेयर, किला नम्बर 21/1 की 0.025 हैक्टेयर, तथा चक 11 एफ एफ बी के मुरब्बा नम्बर 7 के किला नम्बर 2 की 0.190 हैक्टेयर, किला नम्बर 3 की 0.126 हैक्टेयर, किला नम्बर 8 की 0.126 हैक्टेयर, किला नम्बर 9 की 0.190 हैक्टेयर, किला नम्बर 11 की 0.190 हैक्टेयर, किला नम्बर 12 की 0.126 हैक्टेयर, किला नम्बर 18 की 0.126 हैक्टेयर, किला नम्बर 19 की 0.190 हैक्टेयर, किला नम्बर 22 की 0.170 हैक्टेयर, किला नम्बर 23 की 0.116 हैक्टेयर, मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 2, 9, 12, 19, 22 प्रत्येक सालम-सालम कुल 10.044 हैक्टेयर भूमि प्राप्त हुई है। घरू बंटवारा के रोज से उक्त भूमि पर हम वादीगण का कब्जा लगातार, शांतिपूर्वक, बेरोकटोक चला आ रहा है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्सा में आये किलाजात पर काबिज अवश्य है। लेकिन उक्त भूमि संयुक्त खाता में दर्ज होने के कारण एवं वादीगण के कब्जा व काशत की भूमि दूसरे खाता में दर्ज होने के कारण, वादीगण को हर समय भारी कठिनाईयो का सामना करना पड़ता है। वादीगण को अपने हिस्सा की कृषि भूमि हिस्सा, ठेका पर काशत करवाने, पानी की बारी बंधवाने, कृषि भूमि पर बैंक ऋण आदि प्राप्त करने, कृषि भूमि पर प्राप्त होने वाली सरकारी अनुदान, मुआवजा राशि इत्यादि प्राप्त करने व रास्ता आदि की विभिन्न समस्याओं से झूजना पड़ता है। इस कारण वादीगण अपने नाम दर्ज कृषि भूमि का अन्य संयुक्त सहखातेदारान से किलावाईज जोत विभाजन करवाकर, अपने कब्जा व हिस्सा की कृषि भूमि को किलावाईज अलग से अपने नाम घोषित करवाने चाहते है तथा वादीगण के हिस्सा में आई कृषि भूमि का राजस्व लगान भी अलग से वादीगण अपने नाम कायम करवाना चाहते है। वादी आज से दो रोज पूर्व प्रतिवादीगण से मिले व संयुक्त खाता की भूमि का विधिवत विभाजन करवाने को कहा तो प्रतिवादीगण वादाधीन भूमि का विधिवत् विभाजन करवाने से साफ इन्कार हो गये। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 11 एफ एफ ए, पटवार हल्का बडोपल, भू.अ.नि. क्षेत्र मानकसर, की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 02/02 के मुरब्बा नम्बर 14, 16, 19, 26/6 की कुल 8.993 हैक्टेयर, खाता संख्या 26/26 के मुरब्बा नम्बर 5, 8, 26 की कुल 4.047 हैक्टेयर, खाता संख्या 13/13 के मुरब्बा नम्बर 10, 26/11 की कुल 4.932 हैक्टेयर, राजस्व ग्राम 11 एफ एफ बी, पटवार हल्का बडोपल, भू.अ.नि. क्षेत्र मानकसर, की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 28/27 के मुरब्बा नम्बर 7, 26, 27, 43/10 की कुल 15.816 हैक्टेयर, खाता संख्या 10 एफ एफ, पटवार हल्का बडोपल, भू.अ.नि. क्षेत्र मानकसर, की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 81/65 के मुरब्बा नम्बर 53, 62/40 की कुल 0.633 हैक्टेयर, खाता संख्या 48/48 के मुरब्बा नम्बर 45, 53, 62/19, 62/29 की कुल 3.415 हैक्टेयर, खाता संख्या 10/10 के मुरब्बा नम्बर 37, 45 की कुल 0.252 हैक्टेयर, खाता संख्या 38/39 के मुरब्बा नम्बर 17, 18, 25, 45, 62/11 की कुल 18.723 हैक्टेयर भूमि में से वादीगण के नाम दर्ज भूमि का खाता व लगान अलग से वादीगण के नाम कायम किए जाने के आदेश दिए जावे।



2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 10 की ओर से अधिवक्ता श्री इन्द्राज कुमार उपस्थित आए व जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया। काउन्टर क्लेम के अनुसार प्रतिवादी संख्या 10 का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर चक 11 एफ एफ ए के मुरब्बा नम्बर 14के किला नम्बर 13/2 की 0.177 हैक्टेयर, किला नम्बर 14 सालम, किला नम्बर 16/2 की 0.190 हैक्टेयर, किला नम्बर 17, 18, 19 प्रत्येक सालम-सालम, किला नम्बर 20 की 0.228 हैक्टेयर कुल 1.607 हैक्टेयर भूमि का खाता व लगान अलग से प्रतिवादी संख्या 10 के नाम कायम किए जाने के आदेश दिए जावे। वादी अधिवक्ता के द्वारा काउन्टर क्लेम पर अनापत्ति जाहिर की। सामिल मिसल किया गया। जवाब स्टेट बन्द किया गया। अधिवक्तागण के द्वारा निवेदन किया कि प्रकरण में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार श्रीकरणपुर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर वाद पत्र व काउन्टर क्लेम डिक्री किये जाने के आदेश दिये जावे।
3. पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बहस अधिवक्तागण सुनी गई। हमने बहस पर मनन किया, गौर किया तथा संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन करते हुए वादपत्र, जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम, जवाब काउन्टर क्लेम का गहनता से अध्ययन किया। दौराने बहस अधिवक्तागण के द्वारा निवेदन किया कि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड दर्ज भूमि अनुसार प्राथमिक डिक्री जारी कर विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जावे। अधिवक्तागण ने दौराने बहस जाहिर किया कि प्रकरण में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा बाबत प्राथमिक डिक्री जारी कर दी जावे। लिहाजा माफिक राजस्व रिकॉर्ड वादीगण का वादपत्र व प्रतिवादी संख्या 10 का काउन्टर क्लेम प्राथमिक डिक्री किया जाकर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा करवाया जाना हम उचित समझते है।

-:आदेश:-

4. अतः माफिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि राजस्व ग्राम 11 एफ एफ ए, पटवार हल्का बडोपल, भू.अ.नि. क्षेत्र मानकसर, की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 02/02 के मुरब्बा नम्बर 14, 16, 19, 26/6 की कुल 8.993 हैक्टेयर, खाता संख्या 26/26 के मुरब्बा नम्बर 5, 8, 26 की कुल 4.047 हैक्टेयर, खाता संख्या 13/13 के मुरब्बा नम्बर 10, 26/11 की कुल 4.932 हैक्टेयर, राजस्व ग्राम 11 एफ एफ बी, पटवार हल्का बडोपल, भू.अ.नि. क्षेत्र मानकसर, की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 28/27 के मुरब्बा नम्बर 7, 26, 27, 43/10 की कुल 15.816 हैक्टेयर, खाता संख्या 10 एफ एफ, पटवार हल्का बडोपल, भू.अ.नि. क्षेत्र मानकसर, की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 81/65 के मुरब्बा नम्बर 53, 62/40 की कुल 0.633 हैक्टेयर, खाता संख्या 48/48 के मुरब्बा नम्बर 45, 53, 62/19, 62/29 की कुल 3.415 हैक्टेयर, खाता संख्या 10/10 के मुरब्बा नम्बर 37, 45 की कुल 0.252 हैक्टेयर, खाता संख्या 38/39 के मुरब्बा नम्बर 17, 18, 25, 45, 62/11 की कुल 18.723 हैक्टेयर भूमि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 41 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जिसका माफिक राजस्व रिकॉर्ड, हिस्से माफिक भूमि का वादीगण दलेल कौर, राजेन्द्र सिंह, इन्द्रजीत कौर व प्रतिवादी संख्या 10 जसवीर सिंह के मध्य बंटवारा मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करवाया जाकर खाता एवं लगान अलग-अलग किया जावे। शेष खाता एवं रहन बदस्तूर रहें। तहसीलदार श्रीकरणपुर को निर्देश दिये जाते है कि मुताबिक प्राथमिक डिक्री के राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित करें। वादी व प्रतिवादीगण प्रश्नगत आराजी के मौके की वर्तमान स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करे। वादी एवं प्रतिवादीगण मौके पर उपस्थित रहे। प्राथमिक डिक्री पृथक से बनाई जाकर सामिल मिसल हो। तहसीलदार श्रीकरणपुर को प्राथमिक डिक्री की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावे।



उपर्युक्त अधिकारी (आर.ए.एस.)  
सहायक कलक्टर एवं मुदत उपखण्ड अधिकारी  
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 28.10.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

श्रीराम (आर.ए.एस.)  
सहायक कलक्टर एवं मुदत उपखण्ड अधिकारी  
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

# प्राथमिक डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{आदेश 20, नियम 6-7, जान्ता वैवानी}

(civil procedure code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) मुकाम श्रीकरणपुर

ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

दलेल कौर आदि बनाम कश्मीर सिंह आदि

धारा अन्तर्गत 53, 88, 91 आरटीए मुकदमा नम्बर 166/2023

निर्णय दिनांक:-28.10.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कर्तई रुबस उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी वादीगण अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह रमाणा, श्री सुखविन्द्र सिंह सरां, प्रतिवादी अधिवक्ता श्री इन्द्राज सेजु के पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि राजस्व ग्राम 11 एफ एफ ए, पटवार हल्का बडोपल, भू.अ.नि. क्षेत्र मानकसर, की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 02/02 के मुरब्बा नम्बर 14, 16, 19, 26/6 की कुल 8.993 हैक्टेयर, खाता संख्या 26/26 के मुरब्बा नम्बर 5, 8, 26 की कुल 4.047 हैक्टेयर, खाता संख्या 13/13 के मुरब्बा नम्बर 10, 26/11 की कुल 4.932 हैक्टेयर, राजस्व ग्राम 11 एफ एफ बी, पटवार हल्का बडोपल, भू.अ.नि. क्षेत्र मानकसर, की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 28/27 के मुरब्बा नम्बर 7, 26, 27, 43/10 की कुल 15.816 हैक्टेयर, खाता संख्या 10 एफ एफ, पटवार हल्का बडोपल, भू.अ.नि. क्षेत्र मानकसर, की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 81/65 के मुरब्बा नम्बर 53, 62/40 की कुल 0.633 हैक्टेयर, खाता संख्या 48/48 के मुरब्बा नम्बर 45, 53, 62/19, 62/29 की कुल 3.415 हैक्टेयर, खाता संख्या 10/10 के मुरब्बा नम्बर 37, 45 की कुल 0.252 हैक्टेयर, खाता संख्या 38/39 के मुरब्बा नम्बर 17, 18, 25, 45, 62/11 की कुल 18.723 हैक्टेयर भूमि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 41 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जिसका माफिक राजस्व रिकॉर्ड, हिस्से माफिक भूमि का वादीगण दलेल कौर, राजेन्द्र सिंह, इन्द्रजीत कौर व प्रतिवादी संख्या 10 जसवीर सिंह के मध्य बंटवारा मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करवाया जाकर खाता एवं लगान अलग-अलग किया जावे। शेष खाता एवं रहन बदस्तूर रहें। तहसीलदार श्रीकरणपुर को निर्देश दिये जाते है कि मुताबिक प्राथमिक डिक्री के राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित करें। वादी व प्रतिवादीगण प्रश्नगत आराजी के मौके की वर्तमान स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करे। वादी एवं प्रतिवादीगण मौके पर उपस्थित रहे।

आज दिनांक 28.10.2024 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी  
श्रीकरणपुर  
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	02	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	02	00
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	04	00	योग	04	00

{श्योराम (आर.ए.एस.)}  
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर  
दिनांक: 28.10.2024

क्रमांक: रीडर/2024/562

प्रतिलिपि:- तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो।



{श्योराम (आर.ए.एस.)}  
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर